

# ॥ कार्यालय, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर ॥

(नेहरू नगर, आर०पी०५० रोड, जयपुर फोन ०१४१-२३०१५८४, फैक्स ०१४१-२३०१८५९)

ई-मेल: director.fsl@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-न.०५(९)लेबो-संस्था/पार्ट/१९/७७९९-६६

दिनांक:- ३०-६-१३

:आदेश:

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक की सीधी भर्ती परीक्षा 2022 आयोजित कर पत्रांक प.१४(१०२)(१)/RSSB/अर्थना/प्रयोगशाला/संयुक्त भर्ती/पात्रता जांच/२०२२/१३९२ दिनांक २२.०२.२०२३ द्वारा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के अभ्यार्थियों की चयन सूची मय आवेदन पत्र नियुक्ति दिये जाने हेतु प्राप्त हुए हैं। राजस्थान फोरेंसिक साईंस सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स १९८० के अनुसरण में चयन सूची में अंकित निम्न अभ्यार्थी की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, शैक्षणिक दस्तावेजो, जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं चरित्र सत्यापन इत्यादि सही पाये जाने पर कार्मिक विभाग (क-२) की अधिसूचना संख्या स.७(२) डी.ओ.पी. / ए-११/२००५ दिनांक २०.०१.२००६ व राजरथान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, २०१७ की अधिसूचना एफ.१५(१) एफ.डी.(रूल्स)/२०१७ दिनांक ३०.१०.२०१७ एवं ०९.१२.२०१७ की पालना में पै मैट्रिक्स लेवल-५ में नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये १४,६००/- (घोदह हजार छ: सौ मात्र) २ वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थियों के रूप में देय होगा। निम्नलिखित चयनित अभ्यार्थी को कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर अरथाई आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के आगे अंकितानुसार खण्ड आदेश कर पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. स.	नाम अभ्यार्थी मय पिता का नाम	स्थाई निवास का पता	जाति वर्ग	चयन वर्ग	जन्म तिथि	रोल नं.	रैंक क्रमांक	खण्ड का नाम	नवनियुक्ति पद पर कार्य ग्रहण करने का स्थान/पदस्थापन
१.	श्री देरावर सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह	पता:-ग्राम पोर्ट रासला, तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर राज. ३४५००१ मो.स. ७८५२८८०४८२	सामान्य (EWS)	सामान्य (EWS)	०२.०२.१९९९	३०१०६७	५५५	सीरम	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर

कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्याधीन होंगी:-

- परिवीक्षाकाल के दौरान रिश्वर परिश्रमिक के अलावा अन्य भर्ते (मकान किराया, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं विशेष वेतन) आदि देय नहीं होंगे। इस अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
- परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में नियमानुसार अवकाश देय होगा।
- सेवा में नियुक्ति किये गये अभ्यार्थीयों में से कोई भी अभ्यार्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग पत्र देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदर्भ की गई परिलक्षियों की राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि को सरकार का प्रति संदर्भ करने की अपेक्षा की जावेगी, तदापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप संदर्भ रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यार्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
- नियुक्त अभ्यार्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र व ०२ संतान होने के संबंध में प्रमाण पत्र ड्यूटी ज्वाईन करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ-१३ (३) एफडी/रूल्स/२००१ दिनांक ०४.१०.२००१ एवं संख्या प-७(१) कार्मिक/क-२/९७ पार्ट जयपुर दिनांक १३.०८.२००४ के अन्तर्गत नियुक्ति के उपरान्त यदि ०२ से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते हैं तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक् कर दिया जावेगा।
- अभ्यार्थी द्वारा विवाह में दहेज नहीं लेने/देने का शपथ पत्र ड्यूटी ज्वाईन करने से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। विवाह में दहेज प्राप्त नहीं करने, एक से अधिक पति/पत्नि नहीं रखने, दस्तावेज सत्यापन के बाद फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित दस्तावेज पाया जाता है या अन्य कोई आपराधिक या अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित होने संबंधी तथ्य प्रकाश में आने पर बिना नोटिस तत्काल नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक् किया जावेगा।
- अभ्यार्थी से धूम्रपान एवं गृटखा सेवन नहीं करने के संबंध में ड्यूटी ज्वाईन करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- परिवीक्षावधि के दौरान इनका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं पाया जावें अथवा, यह प्रतीत हो की इनमें कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद की दक्षता नहीं है, तो नियमानुसार इनकी सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
- यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अधीन शासित होगी।
- परिवीक्षावधि के दौरान नियुक्त अभ्यार्थियों को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में प्रार्थी को (Self declaration) अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यार्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यार्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी। जिन अभ्यार्थियों का पुलिस सत्यापन अटैरेटेशन फार्म में उल्लेखित सभी रथानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्तियां सभी रथानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेंगी।

उक्त नवनियुक्ति कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक अपने नाम के समुख अंकित पदस्थापन स्थान के खण्ड में आदेश जारी होने के १० दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से ड्यूटी पर उपस्थिति देंगे। निर्धारित समयावधि में ड्यूटी ज्वाईन नहीं किये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

ई.ओ.बी.- ४५/१  
दिनांक- ३०-०६-२०२३

(डॉ. अजय शर्मा)  
निदेशक


राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके पत्रांक प.14(102)(1)/RSSB/अर्थना/प्रयो.सहा./संयुक्त भर्ती/पात्रता जांच/2022/1392 दिनांक 22.02.2023 के कम में।
3. अतिरिक्त निदेशक, मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर/क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/अजमेर/बीकानेर।
4. संबंधित खण्डाधिकारी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।

उक्त कम संख्या 3 व 4 पर अंकित अधिकारियों को भेजकर लेख है कि अपनी प्रयोगशाला/खण्ड से संबंधित चयनित अभ्यार्थियों से इयूटी ज्याइनिंग से पूर्व उपरोक्तानुसार शपथ/बंधक पत्र प्राप्त कर शपथ पत्र व इयूटी ज्योइनिंग रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय में प्रेषित करें।

5. लेखाधिकारी, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
6. नोडल अधिकारी, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. इ.ओ.वी. / पी.एफ.।
8. श्री देरावर सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह, पता:-ग्रम पोर्ट रासला, तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर राज. 345001 मो.स. 7852880482

  
निदेशक 6/23